

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 06.09.2022

अवैध तमंचा-कारतूस, चोरी की मोटर साइकिल व लूट के 8400/- रुपये नकद के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार (थाना आसपुर देवसरा)

जनपद के थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 श्री अरूण कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ग्राम गहबरा से 02 व्यक्तियों 1- धीरज तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम बीरमपुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर व 2- अखिल कुमार यादव पुत्र पुत्र नरसिंह यादव निवासी ग्राम हरई पट्टी, थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध देसी पिस्टल .32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर मय मैगजीन व चोरी की 01 मोटर साइकिल सूपर स्पलेण्डर काला(फर्जी व गलत नम्बर प्लेट) , लूट के 8400/- रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया जबकि 01 मोटर साइकिल पर सवार 02 व्यक्ति भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर भाग निकले।

पूछताछ का विवरण - उक्त बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ करने पर दोनों व्यक्तियों में बताया कि हम दोनों आजमगढ़ असलहा लाकर अच्छे दामों में मांग के अनुसार बेचते हैं, जो दो व्यक्ति भगे हैं उनमें से एक शिवम यादव पुत्र अज्ञात निवासी गहबरा, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ तथा दूसरा व्यक्ति जिसका नाम हम लोग नहीं जानते हैं वह मानापुर का ठाकुर है जिसे पहले भी मैंने एक पिस्टल बेचा था आज भी वही खरीदने के लिए बुलाया था, मोटर साइकिल को हम दोनों मिलकर चाँदा कस्बा सुल्तानपुर से चुराये हैं, दिनांक याद नहीं है तथा बरामद नकद रुपये के संबंध में बता रहे हैं कि यह लूटे रुपये जंजीर के हिस्से है जो करीब 10 दिन पहले हम लोग के पास असलहा खरीदने के लिए पैसे कम पड़ने पर इसी मोटर साइकिल से आसपुर देवसरा बाजार में अपने एक साथी अमित श्रीवास्तव पुत्र स्व. रामचन्द्र श्रीवास्तव निवासी हरई, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के साथ एक महिला से मार-पीट कर सोने की जंजीर छीने थे, इसी प्रकार 02 दिन पहले हम तीनों मिलकर पट्टी क्षेत्र के सरसतपुर के पास से एक व्यक्ति से 6100/- रुपये छीने थे, जंजीर को अमित श्रीवास्तव उपरोक्त ने अपने पास रख लिया व हम दोनों को 10-10 हजार रुपये दिया था तथा पट्टी क्षेत्र में छीने गये रुपये से 1500-1500/- रुपये हम दोनों को दिये थे, जिसमें से लगभग 10 हजार रुपये हम दोनों ने मिलाकर असलहा बेचने वाले नाम/पता अज्ञात को दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- धीरज तिवारी पुत्र अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम बीरमपुर, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर।
- 2- अखिल कुमार यादव पुत्र पुत्र नरसिंह यादव निवासी ग्राम हरई पट्टी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध देसी पिस्टल .32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर मय मैगजीन व चोरी की 01 मोटर साइकिल सूपर स्पलेण्डर काला(फर्जी व गलत नम्बर प्लेट) , लूट के 8400/- रुपये नकद।

पंजीकृत अभियोगों का विवरण-

- 1- मु0अ0सं0 266/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धीरज तिवारी उपरोक्त।
- 2- मु0अ0सं0 267/22 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट बनाम अखिलेश कुमार यादव, धीरज तिवारी, शिवम यादव व ग्राम मानापुर के ठाकुर नाम अज्ञात उपरोक्त।
- 3- मु0अ0सं0 268/22 धारा 411,420,465,467,468 बनाम अखिल कुमार यादव व धीरज तिवारी उपरोक्त।

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री अरूण कुमार सिंह मय हमराह थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24.08.2022 से 08.09.2022 तक अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 05/06.09.2022 को विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 70 लीटर अवैध कच्ची शराब अवैध देसी शराब बरामद की गई है, जिसका थानावार विवरण निम्नवत् है।

थाना बाघराय- उ0नि0 श्री जगदीश प्रसाद मय हमराह म0का0 शिवांगी कन्नौजिया द्वारा, ग्राम मदनपुर कोटवा से बरामदगी कुल 60 लीटर अवैध कच्ची शराब, 1- मु0अ0सं0 258/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम उर्मिला उर्फ हथगहिन पत्नी लल्लू सरोज(20 लीटर), 2- मु0अ0सं0 259/22 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम संवारा देवी उर्फ कहमहिन पत्नी बनवारी सरोज(20 लीटर), 3- मु0अ0सं0 260/22 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम अनीता देवी पत्नी मथुरा सरोज निवासी मदनपुर रामपुर कोटवा, थाना बाघराय प्रतापगढ़(20 लीटर)। कुल 02 कुन्तल लहन नष्ट किया गया।

थाना महेशगंज- उ0नि0 श्री दीपक कुमार यादव मय हमराह द्वारा, ग्राम वासदेव का पुरवा से बरामदगी कुल 10 लीटर अवैध कच्ची शराब, मु0अ0सं0 227/2022 धारा 60 आबकारी अधि0 बनाम धर्मराज सरोज पुत्र स्व0 निमरू सरोज निवासी बासदेव का पुरवा पूरे गजई, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

02 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा व चोरी की एक मोटर साइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना लालगंज)

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 24.08.2022 से 08.09.2022 तक अवैध ड्रग्स एवं अवैध शराब के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद के थाना लालगंज के उ0नि0 श्री जावेद अहमद मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र तिराहा छोटी नगर से पाण्डेय पुरवा के पास से दो व्यक्ति 1- शिवम मिश्रा पुत्र रमाकान्त मिश्र निवासी राजातारा अमावा, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़, 2- शहनवाज पुत्र मुजीब निवासी तौकलपुर, थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को बरामदशुदा 04 बण्डल में कुल 02 किलो 450 ग्राम अवैध गांजा(एक बण्डल में 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, दूसरे बण्डल में 01 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा, तीसरे व चौथे बण्डल में 50-50 ग्राम अवैध गांजा) व 01 चोरी की मोटर साइकिल हीरो होण्डा स्पेलण्डर प्लस तथा जामातलाशी से 360/- रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। मोटर साइकिल के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों ने पूछताछ में बताया गया कि हमलोग यह मोटर साइकिल मानिकपुर थाना क्षेत्र से चोरी किये थे, पहचान छिपाने के लिए इस मोटर साइकिल का रजिस्ट्रेशन नं0 बदल दिया है व चेचिस नं0 मिटा दिया है, इसी मोटर साइकिल से घूम-फिरकर गांजा बेचते हैं। इस सम्बन्ध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 602/2022 धारा 411,419,420,467,468 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

एक टेम्पो वाहन पर लदा हुआ चोरी की 01 मोबिल चेक करने की मशीन, 01 वाटर कूलर के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना जेठवारा)

जनपद के थाना जेठवारा के उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 238/22 धारा 379,411 भादवि से संबंधित 03 अभियुक्तों 1- रवि पाण्डेय उर्फ बाबी पुत्र अरुन पाण्डेय निवासी बिकरा, थाना जेठवारा प्रतापगढ़, 2- ग्यान प्रकाश पाण्डेय उर्फ ग्यानु पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय निवासी मोतीराम का पुरवा महिआमउ थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़, 3- देवीशंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 रामसनेही निवासी सराय खण्डेराय टिंगुआ थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को 01 टेम्पो वाहन संख्या- यूपी 72 एटी 0367 मय चोरी की 01 मोबिल आयल चेक करने की मशीन व 01 वाटर कूलर के साथ थाना क्षेत्र बरईपुर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार(थाना मांधाता)

प्र0नि0 श्री विरेन्द्र सिंह यादव, थाना मांधाता मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र / तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 298/22 धारा 376AB, 452,504,506 भादवि व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त रोहन कुमार वर्मा पुत्र हरिप्रसाद वर्मा निवासी पीपरताली थाना मांधाता को थाना क्षेत्र के दारापुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अपृहता बरामद (थाना देल्हूपुर)

जनपद के थाना देल्हूपुर के उ0नि0 श्री कैलाश यादव मय हमराह म0का0 अनु तिवारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 23/22 धारा 366 भादवि से संबंधित 01 अपृहता थाना क्षेत्र के विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के पास से सकुशल बरामद की गई ।

01 वारण्टी गिरफ्तार(थाना मानिकपुर)

जनपद के थाना मानिकपुर के उ0नि0 अतुल तिवारी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र /तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0नं0 2102/10 धारा 376,506 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी राशिद पुत्र रमजानी उर्फ महाजन निवासी मनिहारी टोला कस्बा मानिकपुर, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को को थाना क्षेत्र के ग्राम अलीगंज चौराहा सब्जी मण्डी के पास से गिरफ्तार किया गया ।